



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



निदेशक का कार्यालय
पूर्वी मुद्रण वर्ग
14, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता -700016
(प ० बं०)



OFFICE OF DIRECTOR
Eastern Printing Group,
14, Wood Street
Kolkata-700016 (W.B.)
Phone No. 033- 22876950
Fax No. 033- 22834694
E-mail: epg.kol.soi@gov.in

दूरभाष सं० : 033-22876950

फैक्स सं० : 033- 22834694

ई-मेल :

epg.kol.soi@gov.in

पूर्वी मुद्रण वर्ग, नेमी आदेश सं० 09 /37-G-15(EPGRO) दिनांक 23-12-2020

EASTERN PRINTING GROUP, ROUTINE ORDER NO. 09 /37-G-15(EPGRO) DATED 23 -12-2020

1. सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति देने हेतु स्थानान्तरण / तैनाती (डी.पी.सी. वर्ष-2020)।

श्री दीनबन्धु मण्डल, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर को सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन) (ग्रुप 'बी') के पद पर पे-मैट्रिक्स, लेवल-7 में 09-12-2020 (अप ०) से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

Shri Dinabandhu Mondal, Senior Reprographer is hereby promoted to the post of Assistant Manager (Map Reproduction) as Group 'B' Officer on regular basis with effect from 09-12-2020 (A/N) in the Pay-Matrix, Level-7.

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Govt. Servant.

2. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ ० आर ० 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

He is required to exercise an option under Rule F.R. 22(I)(a)(1) for fixation of pay on his promotion.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के लिए वर्ष 2020-2021 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2020-2021 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : महासर्वेक्षक का पत्रों सं० सी-2963/594 दिनांक 06-11-2020 एवं सी-3138/594 दिनांक 08-12-2020)

- II. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिव 0-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को तृतीय एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं 0 ए-11019/1/2008-सी 0 डी 0 एन 0 दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं 0 35034/3/2008-स्था 0(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशलय के ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिव 0 II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गयी तारीख से वेतन मेट्रिक्स के लेवल-8 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र 0 सं 0	नाम	पद	एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 के लाभ की तिथि
1.	श्री देबी शंकर बनर्जी	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2021
2.	श्री अविजित राय	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2021

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'B' (Non-Gazetted) Estt. Division-II and Division-I (Promoted from Division II) of this Directorate is granted third Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix in Level-8 with effect from the date as mentioned against his name :-

Sl. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Debi Sankar Banerjee	Senior Reprographer	01-01-2021
2.	Shri Avijit Roy	Senior Reprographer	01-01-2021

1. उपरोक्त कर्मचारियों को एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 योजना के अन्तर्गत तृतीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ 0 आर 0 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of pay for grant of Third Financial Upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

2. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2020-21 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2020-21 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं 0 सी-3098/1902- एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 (पु 0 मु 0 व 0)दिनांक 07-12-2020)

III. सेवा निवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरणनुसार सेवानिवृत्त हुए ।

क्रम सं०	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री जय कुमार बिस्वास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	30-11-2020

Sl. No.	Name	Designation	Date of Retirement
1.	Shri Joy Kumar Biswas	Senior Reprographer	30-11-2020

(आर.के. मीणा)

निदेशक

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, हैदराबाद को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता ।
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा नेशनल जी० डी० सी०, देहरादून को ई-मेल (admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी / प्रभारी वेतन अनुभाग को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवही हेतु ।
6. गार्ड फाईल /फाईल : 4-F-14 / संबंधित कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईल ।

ई-मेल द्वारा